


30-12-25

पत्रावली पेश हुई। प्राणी FSO बाबों अनुपस्थित हैं। प्रकरण में अप्राणी को जरूरी बजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया है; जिसकी वसीद पत्रावली में संलग्न है। अप्राणी के नाम जारी सम्मन इस रिपोर्ट के साथ वापिस प्राप्त हुआ है कि अप्राणी को मृत्यु हो चुकी है। जो शामिल पत्रावली में विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती है। प्रकरण में इसी स्तर अप्राणी के विरुद्ध कार्यवाही शीप की जाती है।

आदेश आज दि. 30-12-2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।  
संभल नं. AM-2199

  
अति० जिला मजिस्ट्रेट  
बारा (राज०)